



न्यायालय: सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी० (अपराध विरुद्ध महिला), हरदोई।

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती नेगी चौधरी, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)- **UP03626**

WARRANT OR SUMMONS CRIMINAL CASE No./22014/2022

श्रीमती सरवती बनाम राजेश्वर आदि

दिनांक-31.07.2023

पत्रावली पेश हुयी। पुकार कराई गई। पुकार पर परिवादिनी अनुपस्थित। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

लंचबाद

पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई। परिवादिनी अनुपस्थित। परिवादिनी की ओर से कोई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पत्रावली विगत कई तिथियों से साक्ष्य अन्तर्गत धारा-200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में नियत होती रही है, किन्तु परिवादी की ओर से धारा- 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इतनी लम्बी अवधि की विगत अनेक तिथियों से परिवादिनी न तो उपस्थित आ रही है और न ही अनुपस्थित के बावत कोई प्रार्थनापत्र उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में परिवादिनी की कार्यवाही अग्रसारित किए जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

परिवादिनी का उक्त परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 203 दं० प्र० सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू०डि०)/एफ०टी०सी०

(अपराध विरुद्ध महिला), हरदोई।